रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, मंगलवार, 24 जून, 1997/आषाढ़ 3, 1919
No. 356] NEW DELHI, TUESDAY, 24 JUNE, 1997/ASADHA, 1919

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 1997

का.आ. 451(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तेल दाब स्टोव (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1987 का उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम तेल दाब स्टोव (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश 1997 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं:—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "समुचित प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति या राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक की पंक्ति से अन्यून का न हो और जिसे इन आदेश के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सके, अभिप्रेत है।

(ख) "ब्यूरो" से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है।

(ग) "तेल दाब स्टोव" से ऐसा ज्वलन साधित्र अभिप्रेत है जो घरेलू या वाणिज्यिक उपयोग के लिए आशयित है, और जिसमें दाबीकृत मिट्टी का तेल जलाया जाता है।

(घ) "विहित मानक" से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित तेल दाब स्टोव का भारतीय मानक विनिर्देश अभिप्रेत है।

(ङ) "व्यवहारी" से कोई ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है जो प्रत्यक्षत: या अन्यथा चाहे नकद या आस्थगित संदाय के लिए या कमीशन, अन्य मूल्यवान प्रतिफल के पारिश्रमिक के लिए किसी ऐसे तेल के लिए किसी ऐसे तेल दाब स्टोव के क्रय विक्रय पूर्ति या वितरण का कारोबार करता है।

(च) "तेल दाब स्टोव के संबंध में" विनिर्माता से कोई ऐसा व्यक्ति या फर्म या अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब जो किसी ऐसे तेल दाब स्टोव का उत्पादन, निर्माण या विनिर्माण करता है और जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब सम्मिलित है जो यथा स्थिति, किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा ऐसे तेल दाब स्टोव के उत्पादन, निर्मित विनिर्मित किये जाने का दावा करता है अभिप्रेत है।

(छ) "मानक चिन्हांकन" के वही अर्थ हैं जो भारतीय मानक अधिनियम, 1986 (1986 का 63) में दिए गए हैं।

(ज) संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

3. ऐसे तेल दाब स्टोव के जो विहित मानक के नहीं हैं के विनिर्माण, विक्रय और भंडारण का प्रतिषेध (1) कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी तेल दाब स्टोव का जो विहित मानकों के अनुरूप नहीं है विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडारण नहीं करेगा, विक्रय या वितरण नहीं करेगा।

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि तेल दाब स्टोव का विनिर्माण और प्रेषण आयात के प्रयोजन के लिए है और यह विदेशी मानक के अनुरूप या क्रेता के विनिर्देश के अनुरूप है और यह तत्स्थानी भारतीय मानक अपेक्षाओं के समान न हो।

(2) ऐसे तेल दाब स्टोव को जो विहित मानक के अनुरूप नहीं है समुचित प्राधिकारी को रिपोर्ट देकर तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा।

4. **विनिर्माता का प्रमाण पत्र :—**(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो तेल दाब स्टोव के विनिर्माण का प्रस्ताव करता है विनिर्माण या उत्पादन से पूर्व मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए ब्यूरों को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आवेदन करेगा और वह तब तक तेल दाब स्टोव का विनिर्माण या उत्पादन नहीं करेगा जब तक मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति नहीं प्राप्त कर लेता।

(2) मानक चिह्न के उपयोग के लिए ब्यूरो द्वारा अनुज्ञप्ति का दिया जाना भारतीय मानक अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अध्यधीन होगा।

(3) एक या अधिक तेल दाब स्टोव के विनिर्माण के लिए ब्यूरों द्वारा किसी अनुज्ञप्ति या आवेदन में की गलती या उनके रद्दकरण से संबंधित सूचना समुचित प्राधिकारी को तुरंत अग्रेषित की जाएगी।

5. **भंडारण विक्रय और वितरण का प्रतिषेध :—**ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसके निमित्त कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसे किसी तेल दाब स्टोव जिस पर मानक चिह्न नहीं है और जिसका विनिर्माण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसने पैरा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त किया है विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा।

6. **सूचना मांगने की शक्ति :—**समुचित प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से जो तेल दाब स्टोव के विनिर्माण, उत्पादन, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ हो, तेल दाब स्टोव के विनिर्माण, उत्पादन विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण से संबंधित ऐसी सूचना देने की जो वह इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे या किसी ऐसे व्यक्ति के तेल दाब स्टोव को नमूना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति के जो तेल दाब स्टोव के विनिर्माण, उत्पादन, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है के द्वारा रखे गए या उसके कब्जा में या उसके नियंत्रण के अधीन रखी गई किसी बही या अन्य दस्तावेज या तेल दाब स्टोव का निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण कर सकेगा।

(ग) पैरा 8 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी से किसी परिसर में प्रवेश और तेल दाब स्टोव का जिसकी बाबत उसे यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है या उक्त तेल दाब स्टोव विहित मानक फर्म नहीं है अभिग्रहण कर सकेगा।

(घ) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध, जहां तक हो सकेगा, इस पैरा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होगा।

7. **नमूने का परीक्षण :—**यह अभिनिश्चय करने के लिए कि यह विहित मानक का है या नहीं मानक चिह्न वाले तेल दाब स्टोव का और समुचित प्राधिकारी द्वारा लिए गए नमूने का ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में और ऐसी रीति से जो ब्यूरो द्वारा सुनिश्चित की जा सके, परीक्षण किया जाएगा।

8. **शक्तियों का प्रयोजन :—**समुचित प्राधिकारी लेखबद्ध रूप में सामान्य और विशेष आदेश से इस निमित्त किसी अधिकारी को इस आदेश के अधीन सभी या किसी भी कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

परन्तु यह कि ऐसा कोई अधिकारी जो राजपत्रित की पंक्ति का नहीं है समुचित प्राधिकारी द्वारा पैरा 6 के खंड (ग) के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

9. **विनिर्माता और व्यवहारी को निदेश देने की शक्ति :—**समुचित प्राधिकारी इस आदेश के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए जैसा आवश्यक है विनिर्माता उत्पादक और व्यवहारी को इस आदेश के उपबंधों से सुसंगत निदेश जारी कर सकेगा।

10. **निदेश का अनुपालन :—**ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी तेल दाब स्टोव के विनिर्माण, उत्पादन, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगा है। जिसे पैरा 9 के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

11. **सूचना प्रस्तुत करने की बाध्यता :—**इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन के आशय से, कोई विनिर्माता या व्यवहारी पैरा 6 के अधीन

मांगी गई सूचना देने से इंकार या अपने कब्जे में या ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में रखी गई किसी बही या दस्तावेज या तेल दाब स्टोव को छिपाना, नष्ट करना, विकृत या विरूपित नहीं करेगा।

12. **उल्लंघन के लिए शास्ति :**—ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उसके अधीन दिए गए किसी निदेश के पालन में असफल रहता है दंडनीय होगा और वह संपत्ति जिसकी बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 7 के अधीन अधिहरण का दायी होगा।

13. **अपील :**—(1) समुचित प्राधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई विनिर्माता या व्यवहारी उसके द्वारा ऐसे विनिश्चय को संसूचित करने वाले आदेश की प्रति प्राप्त किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को लिखित में अपील कर सकेगा:—

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने का अपीलार्थी को पर्याप्त कारण तो वह तीस दिन के उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकती है।

(2) केन्द्रीय सरकार उप पैरा (1) के अधीन प्राप्त होने पर, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् जैसा उचित समझे आदेश पारित कर सकेगी।

[फा. सं. 11/12/85-सी-I]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Policy & Promotion)

ORDER

New Delhi, the 16th June, 1997

S.O. 451(E):—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the Oil pressure stoves (Quality Control) Order, 1987, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement—(1) This order may be called the Oil Pressure Stoves (Quality Control) Order, 1997.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) "appropriate authority" means an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of a General Manager, District Industries Centre of a State Government as may be appointed by the Central Government or the State Goverment by a notification published in the Official Gazette to implement the provisions of this Order;

(b) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards;

(c) "Oil Pressure Stoves" means burning appliances intended for domestic and commercial use burning pressurised kerosene oil;

(d) "prescribed standard" means the Indian Standard specification of oil pressure stove prescribed by the Bureau of Indian Standards;

(e) "dealer" means a person who, or a firm or Hindu Unidivided Family which, carries on directly or otherwise the business of buying, selling, supplying or distributing any such oil Pressure Stoves, whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration of other valuable consideration;

(f) "manufacturer" in relation to Oil Pressure Stoves means a person who or a firm, or Hindu Undivided Family which, produces, makes or manufactures any such oil Pressure Stoves and includes a person who, or a firm or Hindu Undivided Family which, claims such Oil Pressure Stoves to be produced, made or manufactured by any such person or firm or Hindu Undivided Family as the case may be;

(g) "Standard Mark" has the meaning assigned to it in the Bureau of Indian Standard Act, 1986 (63 of 1986);

(h) "State Government" in relation to a Union territory means the Administrator of that Union territory appointed by the President under article 239 of the Constitution.

3. Prohibition to manufacture, sale and store of Oil Pressure Stoves which is not of the prescribed standard—(1) No person shall by himself or by any person on his behalf, manufacture or store for sale, sell or distribute Oil Pressure Stoves which does not conform to the prescribed standards:

Provided that the Central Government may, on an application made, grant exemption from Standard Mark, if it is satisfied that the oil pressure stove manufactured and despatched is for export purpose and is as per the Overseas Standards or as per Buyer's Specifications and do not coincide with the corresponding requirements of the Indian Standards.

(2) The Oil Pressure Stove which do not conform to the prescribed standard shall be destroyed immediately with a report to the appropriate authority.

4. **Certification of Manufacturers:**—(1) A person either by himself or through some other person proposing

to manufacture the Oil Pressure Stove shall, before manufacture or production, make an application to the Bureau for obtaining a licence for use of the Standard Mark and shall not manufacture or produce the Oil Pressure Stove till he obtains the licence for use of the Standard Mark.

(2) The grant of licence by the Bureau for the use of the Standard Mark shall be subject to the provisions of the Bureau of Indian Standard Act, 1986 and the rules and regulations made thereunder.

(3) Information relating to lapse or cancellation of any licence or application by the Bureau for manufacture of one or more of the oil pressure stove shall be forwarded to the Appropriate Authority immediately.

5. **Prohibition of storage, sale and distribution:**—No person by himself or through any persons acting on his behalf shall store for sale, sell or distribute any oil pressure stove which does not bear the Standard Mark and which has not been manufactured by a person who has obtained a licence for the purpose as specified under paragraph 4.

6. **Power to call for information:**—The Appropriate Authority may, with a view to secure compliance with this Order:—

(a) require any person engaged in the manufacture, production, storage for sale, sale or distribution of pressure stove to give such information as it deems necessary in relation to the manufacture, production, storage for sale, sale or distribution of oil pressure stove for the implementation of this Order or require any such person to furnish to it samples of such oil pressure stove;

(b) inspect or cause to be inspected any books or other documents or oil presssure stove kept by or belonging to or in possession or under the control of any person engaged in the manufacture, production, storage for sale, sale or distribution or such oil pressure stove;

(c) cause an officer duly authorised under paragraph 8 to enter and search any premises and seize oil pressure stoves in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been made or the said oil pressure stove is not of the prescribed standard; and

(d) the provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, applicable to searches and seizures under this paragraph.

7. **Testing of sample:**—Samples of oil pressure stove bearing the Standard Mark and drawn by the Appropriate Authority, for ascertaining whether they are of the prescribed standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau and in the manner as may be determined by the Bureau.

8. **Delegation of powers:**—The Appropriate Authority may be general or special order in writing authorise any officer to exercise on its behalf all or any of its functions under this Order.

Provided that no officer who is not of a Gazetted rank, shall be authorised by the Appropriate Authority to exercise the powers of search and seizure under clause (c) of paragraph 6.

9. **Power to issue direction to manufacturer and dealer:**—The Appropriate Authority may issue such directions, to manufacturer, producer and dealer, consistent with the provisions of this Order, as may be necessary for carrying out the provisions of this Order.

10. **Compliance of direction:**—Every person engaged in the manufacture, production, storage for sale, sale or distribution of any oil pressure stove, to whom any direction is issued under paragraph 9 shall comply with such directions.

11. **Obligation to furnish information:**—No manufacturer or dealer shall, with an intention to contravene the provisions of this Order, refuse to give any information called from him under paragraph 6 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any oil pressure stove kept by, or in the possession or control of such person.

12. **Penalty for contravention:**—Any person who contravenes any of the provisions of this Order or fails to carry out any direction made thereunder shall be punishable, and the property in respect of which the Order has been contravened shall be liable to forefeiture under Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

13. **Appeal:**—(1) Any manufacturer or dealer aggrieved by any decision of the Appropriate Authority may prefer an appeal in writing to the Central Government within thirty days from the date of receipt by him of the copy of the Order communicating such decision; provided that the Central Government may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not prefering the appeal within the period of thirty days.

(2) On receipt of the appeal under sub-paragraph (1), the Central Government may, after giving the appellant an opportunity of being heard, pass such order as it may deem fit.

[F. No. 11/12/85—C.I.]
ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997